177/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 177/2016 अनवानी श्री श्रीराम देवर्थ पुत्र श्री धन्नाराम निवासी वार्ड न0 44, नजदीक गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल सुरेशिया हनुमानगढ जक्शंन बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

A3

21–03–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्रीराम देवर्थ उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्रीराम देवर्थ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.10.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1) राशन कार्ड सं. 006451300322 (एपीएल) श्री हरीश कुमार पुत्र बीरबल राम टॉक श्री गंगानगर 2 एमएल.(ओजी)(पार्ट) श्रीगंगानगर द्वारा अपना उक्त राशन कार्ड बनवाने हेतु जो आवेदन पत्र भरकर दिया गया था उस आवेदन पत्र व राशन कार्ड जारी करने की दिनांक की प्रमाणित फोटो प्रति दी जावे।

अपीलार्थी श्रीराम देवर्थ द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 7611 दिनांक 22.12.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्ष की होने व उनके कार्यालय में उपलब्ध नही होने के कारण उसका आवेदन पत्र खारिज किया जाकर समय अवधि के अन्दर पत्र सं0 6748 दिनांक 09.11.2016 से अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था। अतः अपील खारिज की जावे।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 6748 दिनांक 09..11.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

उक्त चाही गई सूचना में आपने किसी तृतीय व्यक्ति के राशनकार्ड आवेदन पत्र व राश्न कार्ड जारी करने की दिनांक की प्रमाणित फोटो प्रति चाही है। राशनकार्ड आवेदन पत्र की प्रति व राशन कार्ड जारी करने की दिनांक संबधी सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही है। अतः आपका आवेदन पत्र आरटीआई की धारा 2(च) के तहत खारिज किया जाता है। इस सम्बंध में आपको कोई उज्र हो तो प्रथम अपील 30 दिवस के अन्दर जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है उससे संबंधित रिकार्ड उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है और चाही गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

नही है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 09.11.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर